

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 अप्रैल 2021—वैशाख 8, शक 1943

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-03/आठ-परि/2021.—केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 32 एवं 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, परिवहन विभाग द्वारा प्रारूप-7 में जारी स्मार्ट कार्ड टाइप ड्राइविंग लायसेंस तथा प्रारूप 23 (क) में जारी स्मार्ट कार्ड टाइप रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र डाक विभाग द्वारा पोस्ट के माध्यम से आवेदक को भेजने तथा संबंधित व्यय हेतु नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित अतिरिक्त प्रभार आवेदक से वसूल करने का प्रावधान करती है, अर्थात् :-

तालिका

विवरण (1)	प्रभार (2)
पोस्ट एवं संबंधित व्यय हेतु प्रभार	रु. 50.00

No. F-5-03/Trans.-8/2021.— In exercise of the powers conferred by rule 32 and 81 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, The State Government, hereby, provides to levy an additional charges from applicant mentioned in column (2) of Table below for sending Smart Card type Driving Licence issue in Form-7 and smart card type

registration certificate issue in Form-23 (A) by the Transport Department to the applicant through post by the postal department and related expenses, namely :-

TABLE

Particular (1)	Charges (2)
Charges for post and related expenses	Rs. 50.00

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.